न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

उनवान कमला देवी बनाम मनसाराम किरम

मुकदमा.....प्रार्थना पत्र–212.....मुकदमा नं..... 17/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.01.23	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र अं0 धारा 151 सीपीसी एंव आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा0 पत्र अं0 धारा 151 का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी मनसाराम ने प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा ने प्रार्थीया कमला देवी के अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई करके दिनांक 21.03.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया कि ख0नं0 1002/724 रकबा 050 है0 वाके ग्राम पुरा की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.04.23 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द रहेगे। न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश रिकार्ड के संबंध में है। परन्तु प्रार्थीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि को विकय करने के लिए ग्राहक लाना प्रारम्भ कर दिया जो कि विशिष्ट भाग का बेचान करने एंव विशिष्ट भाग पर बिना बंटवारा करवाये जबरन निर्माण कार्य करने तथा मौका की वास्तविकि स्थति को परिवर्तित करने की अहलानियां धमकी देने लगी है। इससे वादग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी ने भी न्यायालय के समक्ष काउन्टर टीआई पेश किया है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन व काउन्टर आवेदन को निर्णित करने से पूर्व ही प्रार्थीया ने मौका की वास्तविक स्थिति को परिवर्तित कर दिया तो आवेदनकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी,जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीया को मौका की स्थिति को परिवर्तित करने, कच्चा अथवा पक्का निर्माण करने, बेचान करने से अंतरिम स्थगन से प्रतिबंधित हेतु प्रार्थी मनसाराम ने निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी/प्रार्थीया ने जवाब प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसो पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है अप्रार्थी मनसाराम बिना विधिक बंटवारा करवाये मनचाहे सड़क पर लगते भू भाग पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी मनसाराम वादग्रस्त कृषि भूमियों को दीगर भूमाफियां गिरोह के व्यक्तियों को विकय कर कीमती भू भाग पर कब्जा करवाने पर आमादा है तथा प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि कोहड़पने एंव प्रार्थीया के सड़क पर लगते हक हिस्से से बेदखल करने की कुमंशा रखता है। इस प्रकार अप्रार्थी वादग्रस्त भूमियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने व प्रभारित करने, बेदखल करने की कुचेष्ठाओं में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी मनसाराम को मौके की स्थिति परिवर्तित करने, कच्चा पक्का निर्माण कर वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने, बेचान करने से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। जवाब आवेदन पेश कर अप्रार्थी के प्रा0 पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।	

बहस के दौरान वकील उभय पक्ष की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी जवाब प्रार्थना–पत्र एंव आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया। चूंकि प्रार्थीया द्वारा दावा बावत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ दावा पेश किया है। प्रार्थीया एंव अप्रार्थी विवादित भूमि के 1/2,1/2 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार, काश्तकार दर्ज है, इसलिए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान को रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति से पावन्द करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र अं0 धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को मौका एंव रिकार्ड की स्थति बनाये रखने हेतु पावन्द किया जाता है। आवेदन अं0धारा 151 सीपीसी के साथ ही आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम का भी निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सिरोंज